भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1727
(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां

1727. श्रीमती शारदा अनिल पटेलः
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्रीमती संध्या रायः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बड़ी संख्या में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां पंजीकृत हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत चार वर्षों के दौरान धोखाधड़ी करने वाली कितनी कंपनियों को निलंबित किया गया है; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): किसी कंपनी का पंजीकरण पूरी तरह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। पंजीकरण के लिए कंपनियों से कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमन के समय कई प्रकार के दस्तावेज फाइल करना अपेक्षित है। इनमें ज्ञापन एवं संगम ज्ञापन, प्रथम निदेशकों एवं सब्सक्राइबर द्वारा घोषणा पत्र, विदेशी कारपोरेट निकाय के निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति (यदि कोई हो), प्रोमोटर कंपनी द्वारा पारित संकल्प (उस स्थिति में लागू यदि कारपोरेट निकाय का नाम प्रोमोटर हो), अन्य निकायों में प्रथम निदेशकों का हित आदि शामिल हैं। तथापि, 'धोखाधड़ीकर्ता कंपनी' शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 में इस तरह परिभाषित नहीं किया गया है।
(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कुछेक उल्लंघनों जैसे निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय प्रारंभ करने में विफल रहने, दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय अथवा प्रचालन नहीं कर पाने तथा एक निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं करने आदि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत कंपनियों के नाम हटाने का अभियान चलाया है। पिछले चार वित्तीय वर्षों अर्थात् 01.04.2019 से 31.03.2023 में कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत 1,49,275 कंपनियों को हटाया गया है।

(घ): जहां तक कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का संबंध है, जहां कहीं धोखाधड़ी के संबंध में कोई शिकायत अथवा संदर्भ प्राप्त होता है तो क्षेत्रीय निदेशकों (आरडी) अथवा गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 अथवा 212 के तहत जांच के आदेश दिए जाते हैं।

******